भारत में सामूहिक सौदेबाजी के धीमे विकास के कारण
(Causes of Slow Growth of Collective Bargaining in India)

अथवा

भारत में सामूहिक सौदेबाजी की असफलता के कारण
(Causes of Failure of Collective Bargaining in India)

60

1. **सुदृढ़ श्रम संघों का अभाव** (Lack of strong labour union) : भारत में श्रम संघ छोटे हैं और विभिन्न राजनैतिक संस्थाओं द्वारा संचालित हैं। फलतः सामूहिक सौदेबाजी में काफी कठिनाई आती है।

Scanned with CamScanner

भारत में सामूहिक सौदेबाजी के धीमे विकास के कारण

1. सुदृढ़ श्रम संघों का अभाव
2. अशिक्षित सदस्य
3. मधुर संबंधों का अभाव
4. वैयक्तिक अनुबंधों की प्रधानता
5. अनिवार्य पंचनिर्णय या अभिनिर्णयादेश पर अधिक बल
6. पक्षकारों की अनभिज्ञता
7. प्रबंधकों की तानाशाही प्रवृत्ति
8. मतैक्य का अभाव
9. संघर्षों के शीघ्र निपटारे का अभाव
10. राष्ट्रीय स्तर की सौदेबाजी की अवहेलना
11. तृतीय पक्षकार का हस्तक्षेप

2. **अशिक्षित सदस्य** (Illitrate member) : भारत में श्रम संघों के अधिकांश सदस्य अशिक्षित हैं, फलतः उन्हें सामूहिक सौदेबाजी की कला समझ में नहीं आती इसलिए वे इससे अधिक रुचि नहीं लेते।

3. **मधुर संबंधों का अभाव** (Lack of cordial relations) : भारत में अधिकांश उपक्रमों में श्रमिकों एवं प्रबंधकों के मध्य मधुर संबंध नहीं पाये जाते, वे एक–दूसरे को प्रतिद्वंद्वी समझते हैं। ऐसी स्थिति में एक साथ बैठकर बातचीत की पहल करना कठिन हो जाता है।

4. **वैयक्तिक अनुबंधों की प्रधानता** (Predominance of Personal contracts) : भारत में आज भी वैयक्तिक रूप से औद्योगिक अनुबंधों की प्रधानता है। अतएव सामूहिक सौदेबाजी संभव नहीं है।

5. **अनिवार्य पंचनिर्णय या अभिनिर्णयादेश पर अधिक बल** (More emphasis on compulsary orbitration) : भारत में अनिवार्य अभिनिर्णयादेश पर आरंभ से ही अधिक बल दिया जाता रहा है। फलतः सामूहिक सौदेबाजी का भारत में विकास तीव्र गति से नहीं हो पाया।

6. **पक्षकारों की अनभिज्ञता** (Ignorantce of parties) : भारत में कई प्रबंधक एवं श्रमिक सामूहिक सौदेबाजी के महत्त्व, उद्देश्यों एवं विचारधाराओं से भी परिचित नहीं हैं, जो इसके विकास में सबसे बड़ी बाधा है।

7. **प्रबंधकों की तानाशाही प्रवृत्ति** (Dictatorship of management) : भारत में कुछ प्रबंधक आज भी प्रजातंत्रात्मक आधार पर प्रबंध करना नहीं चाहते। वे अपनी मनमानी एवं हठधर्मिता से कार्य करना चाहते हैं। ऐसे प्रबंधक श्रमिकों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं देना चाहते। इसलिए भी सामूहिक सौदेबाजी का विकास एक सीमा तक नहीं हो पाया है।

8. **मतैक्य का अभाव** (Lack of uniformity of opinion) : भारत में सेवायोजक या प्रबंधक व श्रमिक परंपरागत नीतियों, सिद्धांतों, अवधारणाओं एवं विचारधाराओं को ही अधिक महत्त्व देते हैं। इनमें परिवर्तनों पर वे अधिकांशतः एक मत नहीं होते, फलस्वरूप सामूहिक सौदेबाजी को अधिक प्रोत्साहन नहीं मिल पाता।

9. **संघर्षों के शीघ्र निपटारे का अभाव** (Lack of early Đettlelment of disputers) : औद्योगिक संघर्षों के निपटारे की वही विधि सफल मानी जाती है तथा उसी का पर्याप्तविकास भी होता है, जिसके द्वारा संघर्षों का शीघ्र निपटारा हो। किंतु भारत में सामूहिक सौदेबाजी द्वारा संघर्षों का निपटारा शीघ्र नहीं हो पाता है।

10. **राष्ट्रीय स्तर की सौदेबाजी की अवहेलना** (National label bargaining neglected) : ऐसी सौदेबाजी जो राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है स्थानीय श्रमिकों द्वारा या देश के विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों द्वारा उसकी अवहेलना की जाती है, क्योंकि देश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के कार्य की परिस्थितियां व उनकी समस्याएं एक सी नहीं होतीं इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर की गयी सौदेबाजी अधिक्र सार्थक नहीं हो पाती।

11. **तृतीय पक्षकार का हस्तक्षेप** (Interferance of tripartite) : भारत में औद्योगिक संघर्षों का निपटारा करने के लिए तृतीय पक्षकार हस्तक्षेप (समझौता अधिनिर्णय या पंचनिर्णय) पर अधिक बल दिये जाने के कारण भी सामूहिक सौदेबाजी का पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा है।

Scanned with CamScan

विकास के लिए सुझाव
(Suggestions For Growth)

भारत में सामूहिक सौदेबाजी कुछ संस्थाओं तक ही सीमित है। इसके विकास की आवश्यकता है। हम इसके विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव दे सकते हैं :

1. **शक्तिशाली श्रम संघों की स्थापना** (Establishment of strong labour union) : श्रम संघों को शक्तिशाली होना चाहिए और उनमें उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वैधानिक उपायों के प्रयोग में उनका दृढ़ विश्वास होना चाहिए।

2. **राजनैतिक प्रभावों से बचना** (Avoidence of political influances) : श्रमिक संघ आंदोलन को श्रमिक संघ के बाहुल्य के कारण पैदा हुई प्रतिस्पर्धा और स्वार्थपरक राजनीतिक दलों एवं नेताओं के अवांछनीय प्रभावों से बचाना चाहिए।

3. **दृष्टिकोण में परिवर्तन** (Change in attitudes) : सफल सामूहिक सौदेबाजी के लिए यह भी आवश्यक है कि दोनों पक्ष अपने आपको उत्पादन क्रिया में उत्तरदायी साझेदार के रूप में मानें। एक-दूसरे के दृष्टिकोण को पूर्ण तथा वास्तविकता में समझना चाहिए और उनकी कदर करनी चाहिए।

4. **प्रबंधकों की प्रजातांत्रिक दृष्टि** (Democratic outlook of management) : सामूहिक सौदेबाजी के विकास की गति में वृद्धि करने के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रबंधकों का दृष्टिकोण प्रजातांत्रिक हो तथा वे प्रजातांत्रिक आधार पर कार्य करें। उन्हें अपनी अधिनायकवादी प्रवृत्ति का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए।

विकास के लिए सुझाव

1. शक्तिशाली श्रम संघों की स्थापना
2. राजनैतिक प्रभावों से बचना
3. दृष्टिकोण में परिवर्तन
4. प्रबंधकों की प्रजातांत्रिक दृष्टि
5. श्रमिकों को शिक्षण और प्रशिक्षण
6. सेवायोजकों के सुदृढ़ संगठन
7. सौदेबाजी का निश्चित क्षेत्र
8. समझौते का शीघ्र क्रियान्वयन
9. अनुसरण
10. सूचनाओं का आदान-प्रदान
11. अन्य सुझाव

5. **श्रमिकों को शिक्षण और प्रशिक्षण** (Workers education and training) : सुदृढ़ सामूहिक सौदेबाजी के लिए यह भी एक आवश्यकता है कि श्रमिकों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाये। भारत में श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर श्रम संघों के प्रति भावनाओं को बदला जा सकता है और सौदेबाजी करने योग्य बनाया जा सकता है। भारत में श्रमिकों की शिक्षा के लिए प्रयास किये गये हैं किंतु इनकी अभी भी आवश्यकता है।

6. **सुदृढ़ संगठन** (Strong organisation) : राष्ट्रीय स्तर पर सौदेबाजी को प्रोत्साहित करने के लिए सेवायोजकों के भी सुदृढ़ राष्ट्रीय संगठन होने चाहिए जिससे सभी संस्थाओं में सामूहिक अनुबंध को लागू किया जा सके।

7. **सौदेबाजी का निश्चित क्षेत्र** (Definit area of bargaining) : सामूहिक सौदेबाजी किन किन मामलों पर हो सकेगी, इसे पहले ही निश्चित कर लेना चाहिए। प्रारंभ में सौदेबाजी के क्षेत्र को सीमित रखकर बाद में आवश्यकतानुसार इसमें वृद्धि की जा सकती है।

8. **शीघ्र क्रियान्वयन** (Early Implementation) : सामूहिक सौदेबाजी की सफलता केवल सामूहिक समझौता होने से ही नहीं आंकी जा सकती वरन् इसकी पूर्ण सफलता समझौते के शीघ्र एवं उचित क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।

9. **अनुसरण** (Follow-up) : सामूहिक सौदेबाजी के विकास की गति को प्रोत्साहित करने के लिए सौदेबाजी समझौते का कुशलतापूर्वक अनुसरण करना बहुत आवश्यक है। समझौते को लागू करने के पश्चात् यदि कुछ कमियां पायी जाती हैं तो पुनः निरीक्षण व नवीनीकरण द्वारा उन्हें दूर कर देना चाहिए।

10. **सूचनाओं का आदान-प्रदान** (Exchange of information) : सामूहिक सौदेबाजी की सफलता के लिए संबंधित सभी पक्षकारों के मध्य यथासमय सूचनाओं का आदान-प्रदान होता रहना चाहिए।

11. **अन्य सुझाव** (Others suggestions) : (*i*) प्रबंधकों में **प्रगतिशील और उदार दृष्टिकोण की उपस्थिति** सामूहिक सौदेबाजी की सफलता के लिए आवश्यक है। (*ii*) श्रमिक वर्ग में शिक्षा, ज्ञान, चेतना एवं जागरूकता की कमी सफल सामूहिक

Scanned with CamScanner

सौदेबाजी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसे दूर करना चाहिए। (*iii*) तथ्यों की खोजबीन और निष्पक्ष जांच-पड़ताल करने में आस्था होनी चाहिए और औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए नये प्रगतिशील साधनों व उपायों को प्रयोग में लाने की इच्छा होनी चाहिए। (*iv*) चूंकि ऐच्छिक आधार पर किये गये ठहराव की शर्तों और दशाओं के पीछे कोई वैधानिक समर्थन नहीं होता, इसलिए संबंधित पक्षों को पारस्परिक ठहराव के आधार पर विश्वास के साथ अपनी कार्यवाहियों को करना चाहिए। (*v*) उन क्षेत्रों के विषय में किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, जिनमें संबंधित पक्षों को वैधानिक दृष्टि से सामूहिक रूप में सौदा करना होता है।] Stop

क्या सामूहिक सौदेबाजी भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल है?

Scanned with CamScanner